**भारत सरकार**
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3226**
16.12.2024 को उत्तर के लिए

**वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 के अंतर्गत भूमि की छूट प्राप्त श्रेणियां**

**3226. श्री राजा राम सिंह :**

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 के अंगर्तत अंतरराष्ट्रीय सीमा से 100 किमी. भीतर तक स्थित भूमि, नियंत्रण रेखा अथवा वास्तविक नियंत्रण रेखा की राज्यों की भूमि का उपयोग राष्ट्रीय महत्व अथवा सुरक्षा के लिए सामरिक रैखिक परियोजना के निर्माण हेतु किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या 100 किलोमीटर क्षेत्र के संबंध में निर्णय लेने के लिए कोई समिति गठित की गई है, यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या इस नीति के संदर्भ में सरकार ने हिमालयी राज्यों के पर्यावरण संरक्षण हेतु योजनाएं बनाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) से (घ) ; संसद द्वारा पारित वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी वन भूमि, जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा जैसा भी मामला हो, से सौ किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित है, जिसका उपयोग राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित रणनीतिक रैखिक परियोजना के निर्माण के लिए किया जाना प्रस्तावित है, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल नहीं होगी। वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 को दिनांक 04.08.2023 को अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात् इसे केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.12.2023 से लागू किया गया है।

इस 100 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों के परामर्श से किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 1क(3) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने 29.11.2023 और 24.09.2024 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस अधिनियम की धारा 1क(2) के तहत प्रदान की गई छूट पर विचार करते समय पालन किए जाने वाले निबंधन और शर्तों को भी निर्दिष्ट किया गया है ।

*****